

खण्ड-11, अंक-7
मंगलवार, श्रावण 05, शक संवत् 1926
(27 जुलाई, 2004 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2004)



(खण्ड 11 में 7 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)

2004

मूल्य—

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
सचिवालय तथा प्रदेश के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास	1-2
प्रश्नोत्तर	2-37
सचिवालय तथा प्रदेश के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल को पुनः नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास	37-38
प्रथम राज्य वित्त आयोग उत्तरांचल के प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)	38
सचिवालय तथा प्रदेश के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल को पुनः नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास	38-39
कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम-निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	39-44
नियमों को निलम्बित करते हुये कार्यसूची में अतिरिक्त मदों को जोड़े जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	44-45
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:- अनुदान संख्या 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 8-आबकारी विभाग, अनुदान संख्या 26-पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या 6-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 25-खाद्य विभाग, अनुदान संख्या 01-विधान सभा, अनुदान संख्या 03-मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 04-न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या 05-निर्वाचन, अनुदान संख्या 07-वित्त कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यें, अनुदान संख्या 10-पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या 14-सूचना, अनुदान संख्या 15-कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या 16-श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या 18-सहकारिता, अनुदान संख्या 19-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 20-सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या 21-ऊर्जा, अनुदान संख्या 22-लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 23-उद्योग, अनुदान संख्या 24-परिवहन, अनुदान संख्या 27-वन, अनुदान संख्या 28-पशुपालन, अनुदान संख्या 29-औद्योगिक विकास। (स्वीकृत)	45-59

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 (पुरः स्थापित एवं पारित) ...	59-62
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित)	62-66
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित) ...	66-69
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित)	69-70
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरः स्थापित एवं पारित)	70-73
विधान सभा की समितियों के गठन हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	73
विधान सभा की आवास समिति के गठन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	73-74
सर्वदलीय जाँच समिति के कार्यकाल को बढ़ाये जाने की घोषणा ...	74
विधान सभा के माननीय विधायकों को लैपटॉप का वितरण (अनुमत) ...	74-75
राष्ट्र गान	75

“क”

उपस्थिति

- 1—श्री अजय भट्ट
- 2—श्री अनिल नौटियाल
- 3—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
- 4—श्रीमती अमृता रावत
- 5—श्री अरविन्द पाण्डे
- 6—श्रीमती आशा देवी
- 7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
- 8—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
- 9—श्री काशी सिंह ऐरी
- 10—श्री किशोर उपाध्याय
- 11—श्री कैलाश शर्मा
- 12—श्री कौल दास
- 13—श्री गगन सिंह रजवार
- 14—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
- 15—श्री गोपाल सिंह राणा
- 16—श्री गोविन्द लाल
- 17—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
- 18—श्री चन्द्रशेखर
- 19—श्री जोत सिंह
- 20—श्री तसलीम अहमद
- 21—श्री तिलक राज बेहड़
- 22—श्री तेजपाल सिंह रावत
- 23—श्री दिनेश अग्रवाल
- 24—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
- 25—श्री नव प्रभात
- 26—श्री नारायण दत्त तिवारी
- 27—श्री नारायण पाल
- 28—श्री नारायण राम आर्य
- 29—श्री नारायण सिंह जंतवाल
- 30—काजी निजामुद्दीन
- 31—श्री प्रकाश पंत
- 32—कुंवर प्रणव सिंह “चैम्पियन”
- 33—डा० प्रताप बिष्ट
- 34—श्री प्रदीप टम्टा
- 35—श्री प्रीतम सिंह

- 36—श्री प्रीतम सिंह पंवार
- 37—श्री प्रेमानन्द महाजन
- 38—श्री फूल सिंह बिष्ट
- 39—श्री बलवीर सिंह नेगी
- 40—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
- 41—श्री बिशन सिंह चुफाल
- 42—श्री भगत सिंह कोश्यारी
- 43—श्री मदन कौशिक
- 44—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
- 45—श्री महेन्द्र भट्ट
- 46—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
- 47—श्री मातबर सिंह कण्डारी
- 48—श्री माल चन्द्र
- 49—चौ० यशवीर सिंह
- 50—श्री रणजीत सिंह
- 51—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
- 52—श्री राम प्रसाद टम्टा
- 53—श्रीमती विजय बड़थवाल
- 54—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
- 55—श्री शूरवीर सिंह
- 56—श्री सहजाद
- 57—श्री साधू राम
- 58—श्री सुबोध उनियाल
- 59—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
- 60—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
- 61—श्री सुरेश चन्द
- 62—डा० हरक सिंह रावत
- 63—श्री हरबंस कपूर
- 64—श्री हरभजन सिंह चीमा
- 65—श्री हरिदास
- 66—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
- 67—श्री हीरा सिंह बिष्ट
- 68—श्री हेमेश खर्कवाल
- 69—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

दिनांक 27 जुलाई, 2004 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

सचिवालय तथा प्रदेश के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल को
नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, 311 के अन्तर्गत मेरी सूचना है। (भारतीय जनता पार्टी तथा उत्तराखण्ड
क्रांति दल के सभी माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्य कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम के तहत अपनी बात को कह रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर, मैंने इस विषय पर आपको पर्याप्त समय दिया है। काफी चर्चा हो चुकी
है। मैं इस पर कुछ नहीं सुनूँगा। कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर
सभी सदस्य तथा उत्तराखण्ड क्रांति दल के श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 'वेल' में आकर नारे
लगाने लगे— कर्मचारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)।

श्री अध्यक्ष—

कृपया सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन को चलाने में सहयोग करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।
(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी "क" पर अल्पसूचित प्रश्न पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

(बेल में मौजूद माननीय सदस्यगण नारे लगाते रहे— कर्मचारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, विपक्ष सुनना नहीं चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर कल सदन में अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इन्होंने उन्हें बोलने नहीं दिया। ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 को उत्तर प्रदेश के संशोधनों के अनुरूप उत्तरांचल में क्रियान्वयन

**1—श्री शूरवीर सिंह,

श्री प्रीतम सिंह पंवार,

डा० हरक सिंह रावत

एवम्

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के ही प्राविधान उत्तरांचल में लागू हैं ?

नोट:—उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी हाँ।

जी नहीं।

आवश्यकतानुसार।

तारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी स्थित चीड़वासा व भोजवासा में भोज वृक्षों का संरक्षण

*1—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री से आगे चीड़वासा व भोजवासा में नाममात्र के भोज वृक्ष रह गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार दुर्लभ प्रजाति के इन भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए कोई कारगर कदम उठाने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ, वृक्षों में कमी आने की सूचना प्राप्त हुई है।

भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा सुरक्षा जागरुकता व संवर्धन हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं—

1. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा पर्यटक आवागमन को नियंत्रित किया जायगा।
2. गंगोत्री गौमुख मार्ग पर स्थापित ढाबों पर नियंत्रण।
3. स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं को गंगोत्री गौमुख मार्ग पर नर्सरी में भोज वृक्ष की पौध उगाने व वृक्षारोपण के लिए वन विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरांचल की वन सम्पदा को दावाग्नि से रोकने हेतु प्रभावी कार्ययोजना

*2—श्री प्रकाश पंत

एवम्

श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि जनवरी, 2004 से 15 मई, 2004 के मध्य उत्तरांचल की कितनी वन सम्पदा दावानल के कारण नष्ट हो गयी ?

सरकार द्वारा दावाग्नि शमन हेतु क्या उपाय किये गये तथा उस पर कितना व्यय किया गया ?

क्या सरकार दावाग्नि रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कार्ययोजना का स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नव प्रमात—

जनवरी, 2004 से 15 मई, 2004 तक आरक्षित वन क्षेत्र 2832 है०, सिविल सोयम एवं पंचायती वन 1440 है० इस प्रकार कुल 4272 है० वनाग्नि से प्रभावित हुआ जिसमें 414 है० वृक्षारोपण क्षेत्र एवं लगभग 2000 लीसा घाव, प्रभावित हुआ। आग सतही होने के कारण मुख्यतया घास-फूस एवं झाड़ी, गिरी पड़ी टहनियां, पत्ती आदि जली हैं। नया वृक्षारोपण प्रभावित हुआ है।

दावाग्नि शमन हेतु राज्य सेक्टर की वनों की अग्नि से सुरक्षा एवं केन्द्र पुरोनिधानित इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत कार्मिकों को फायर फाइटिंग हेतु प्रशिक्षित किया जाना, अग्नि शमन उपकरण उपलब्ध कराया जाना, जन सहयोग एवं जागृति हेतु प्रचार/प्रसार करना, फायर लाइनों का निर्माण एवं वनों का नियंत्रित दाहन (कन्ट्रोल बर्निंग) किया जाना प्रमुख है। इन कार्यों में रु० 3.89 करोड़ का व्यय किया गया है।

जी हाँ।

दावाग्नि रोकने के लिए पहले से लागू राज्य सेक्टर वनों की अग्नि से सुरक्षा एवं केन्द्र पुरोनिधानित इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, इसमें ग्राम स्तरीय अग्नि सुरक्षा समितियों के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण किया जा रहा है, का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा प्रबन्ध से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित दरों के मानक

* 3—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की दरें निर्धारित किये जाने की क्या प्रक्रिया तथा आधार है ?

क्या निर्माण सामग्री के बाजार भाव में उतार-चढ़ाव के आलोक में दरों की समीक्षा की जाती है ?

यदि हाँ, तो कितने अन्तराल के बाद ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगी कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरें अन्य अभियांत्रिक विभागों के लिये मार्ग दर्शक आधार है।

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

निर्माण कार्य की दरें लोक निर्माण विभाग के दर विश्लेषण मानक तथा सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय की डाटा बुक में इंगित मदों के बाजार भाव को शामिल करके आंकलित की जाती है।

जी हां।

आवश्यकतानुसार।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य को एक सड़क मार्ग से जोड़ने पर विचार

* 4—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य को एक सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, गैरसैंण, बागेश्वर, थल, देवलथल, पिथौरागढ़ के मध्य मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा उक्त मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो उक्त योजना की अद्यतन स्थिति क्या है और यह मार्ग कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

* 5—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

चतुर्थ सोमवार के तारा0 प्र0-4 में स्थानान्तरित।

राजाजी नेशनल पार्क के रानीपुर क्षेत्र में जून, 2003 से जून, 2004 तक काटे गये अवैध हरे पेड़ों का ब्योरा

* 6—श्री सहजाद—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत राजाजी नेशनल पार्क के रानीपुर रेंज, टिबड़ी रेंज, धौलखण्ड रेंज में जून 2003 से जून 2004 तक कितने हरे पेड़ अवैध रूप से काटे गये तथा यह पेड़ किस-किस प्रजाति के थे ?

क्या सरकार द्वारा उक्त पार्क में सक्रिय वन माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

घौलखण्ड रेंज में जून, 2003 से जून, 2004 तक 417 पेड़ों का अवैध पातन हुआ। ये जुर्म से आच्छादित अवैध रूप से काटे गये पेड़ निम्न प्रजातियों के थे:—

	वृक्ष	पोल (बल्ली)	पौध	कुल
शीशम	28	85	31	144
सागौन	44	128	10	182
खैर	0	60	15	75
साल	1	0	0	1
कुकाट	1	3	11	15
योग	74	276	67	417

उक्त 417 पेड़ों में 131 हरे पेड़ थे।

इनके अतिरिक्त अन्य 1712 पेड़ों का पातन भी हुआ है, जिनमें से 334 पौध, 1254 पोल (बल्ली) एवं 124 वृक्ष हैं। इस विषय में जाँच की कार्यवाही अभी जारी है एवं पातन की समयावधि निर्धारित की जा रही है।

- (1) राजाजी पार्क में जून, 2003 से जून, 2004 तक 109 जुर्म वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत दर्ज किये गये।
- (2) वन अपराधियों के विरुद्ध वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 7 वन अपराधियों को पकड़ा गया।
- (3) संगठित गिरोहों द्वारा पातन की घटना ज्ञात नहीं है। वाणिज्यिक श्रेणी के वृक्षों की संख्या कम होना भी यही दर्शाता है।
- (4) वन अपराधों के विरुद्ध कार्य करने की राजाजी पार्क की संगठनात्मक क्षमता सुदृढ़ की जा रही है।
- (5) सिर दुलान तथा साइकिल पर लकड़ी ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

चमोली स्थित पोखरी पुनर्गठन पेयजल योजना से लाभान्वित गाँवों की सूची

1—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में पोखरी पुनर्गठन पेयजल योजना में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा इस योजना से कौन-कौन से गाँव लाभान्वित होने वाले हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

पोखरी पुनर्गठन पेयजल योजना के लिए वर्ष 2004-05 की जिला योजना में रु० 5.00 लाख (रु० पाँच लाख) की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है। इस योजना में निम्नलिखित गाँवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है:—

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. क्वींठी | 9. धौड़ा-मरोडा |
| 2. कांडा | 10. नखोललियाणा |
| 3. नाग | 11. चमेठी |
| 4. बौब | 12. छांतीखाल (ग्राम वल्ली का तोक) |
| 5. तौली | 13. डांडौ (ग्राम कलसीर का तोक) |
| 6. देवस्थान | 14. काफलडाली (विनगढ़ का तोक) |
| 7. नागनाथ | 15. चौरी तोक (ग्राम देवर का तोक) |
| 8. पोखरी | 16. सरणा चाई (ग्राम सरणा का तोक) |

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद हरिद्वार को नगर पंचायत बनाने पर विचार

2—श्री तसलीम अहमद—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद हरिद्वार को नगर पंचायत बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानकों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है तदोपरान्त ही उचित निर्णय लिया जायेगा।

3—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

दिनांक 22-07-2004 के अता० 39 द्वारा उत्तरित।

राज्य में लीसा तथा अन्य वन उपजों के दोहन के लिए नीति

4—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लीसा दोहन तथा अन्य वन उपजों के दोहन के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है ?

यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जायेगी और कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

उत्तरांचल राज्य वन नीति, 2001 की प्रति प्रचालित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के धरासू में भागीरथी नदी पर बन रहे मोटर पुल का निर्माण

5—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के धरासू बैण्ड पर भागीरथी नदी पर बन रहे मोटर पुल निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

आगामी वित्तीय वर्ष तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद उत्तरकाशी में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण

6—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए दैवीय आपदा मद से बजट आवंटन किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो वर्ष 2003-04 में जनपद उत्तरकाशी के उत्तरांचल जल संस्थान व उत्तरांचल पेयजल निगम को कितनी धनराशि आवंटित/प्राप्त हुई तथा किन-किन पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्य किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

वर्ष 2003-04 में उत्तरकाशी में उत्तरांचल जल संस्थान को रु० 8.608 लाख की धनराशि आवंटित की गई, जिससे उत्तरकाशी नगर के अंतर्गत वितरण प्रणालियों एवं उत्तरकाशी से झानसू की वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य किया गया तथा उत्तरांचल पेयजल निगम को रु० 27.06 लाख की धनराशि आवंटित की गई, जिससे नैपड़, डाग, कोट गैरी तथा सौड़ जामण पेयजल योजना का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित सूचना निदेशालय को किराये के निजी भवनों में स्थानान्तरित करने का कारण

7—श्री अजय भट्ट—

क्या सूचना मंत्री को यह जानकारी है कि देहरादून स्थित सूचना निदेशालय को सरकारी भवन से हटाकर निजी भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो इसका प्रतिमाह किराया क्या है तथा अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

पूर्व में सूचना निदेशालय 26 ई0सी0 रोड स्थित आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के कैम्प कार्यालय में प्रथम तल पर संचालित किया जा रहा था। इसी भवन में राजस्व विभाग का एक और कार्यालय स्थापित कर दिया गया। अतः इस भवन में स्थान की कमी के कारण सूचना निदेशालय को किराये के भवन में स्थापित करना पड़ा। इस भवन का किराया रु0 65,473.00 (रुपये पैंसठ हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) प्रतिमाह है।

8—श्री तसलीम अहमद—

द्वितीय सोमवार के अता0 प्र0सं0 41 में स्थानान्तरित

ओशो होटल व जी0आर0डी0 एकादमी, राजपुर रोड में पीछे अवैध कब्जों की शिकायत

9—श्री हरबंस कपूर—

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि ओशो होटल, राजपुर रोड तथा जी0आर0डी0 एकादमी, राजपुर रोड, देहरादून के पीछे एवं डाईवर्जन रोड आदि क्षेत्रों में किये जा रहे अवैध कब्जों के सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

1. ओशो होटल, राजपुर रोड के पीछे अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगर निगम के द्वारा स्वयं स्थलीय जाँच करायी गयी। सम्बन्धित भूमि नॉन0जेड0ए0 की है व इसके लिए कोई राजस्व अभिलेख नगर निगम में उपलब्ध नहीं है। अतः इसका सीमांकन नगर निगम एवं तहसील की संयुक्त टीम के द्वारा करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
2. जी0आर0डी0 एकादमी, राजपुर रोड के पीछे की भूमि के सम्बन्ध में नगर निगम एवं प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था तथा तहसील के द्वारा दिनांक 27-02-2004 को जी0आर0डी0 एकादमी के पीछे नाले का निरीक्षण तथा सीमांकन किया गया था जिसमें पाया गया था कि उक्त स्थल

पर निर्माण कार्य जिस भूमि पर हो रहा है वह नॉन0जेड0ए० की भूमि है तथा नगर निगम की सम्पत्ति नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3. डाईवर्जन रोड पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण दिनांक 26 जून, 2004 को टास्क फोर्स के द्वारा हटा दिये गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल-कनालीछीना लिंक मोटर मार्ग का डामरीकरण

10-श्री काशी सिंह ऐरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में देवलथल-कनालीछीना लिंक मोटर मार्ग का आज तक डामरीकरण नहीं हुआ है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग का निर्माण लगभग 22 वर्ष पूर्व हुआ था ?

क्या मंत्री जी यह भी जानते हैं कि उक्त मार्ग रख-रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गया है और यातायात के लायक नहीं रह गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग के डामरीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

जी हाँ।

जी हाँ।

मार्ग को यातायात हेतु चालू रखा गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल पेयजल निगम के नियमित कर्मियों व फील्ड कर्मियों की सामान्य भविष्य निधि

11-श्रीमती विजय बड़थवाल-

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल पेयजल निगम के नियमित कर्मियों व फील्ड कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का एक बड़ा भाग मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में एकत्रित कर लिया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि अन्य विभागों में यह व्यवस्था शाखाओं में सुरक्षित रखी जाती है ?

यदि हाँ, तो पेयजल निगम द्वारा किस नियम के अन्तर्गत उक्त धनराशि मुख्य अभियन्ता को प्राप्त करायी जाती है ?

क्या निगम के बोर्ड से उक्त विधि का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो कब ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

शासकीय विभागों में सामान्य भविष्य निधि की धनराशि कोषागार के माध्यम से कटौती के उपरांत महालेखाकार स्तर पर व्यवस्थित होती है।

पेयजल निगम के कर्मियों की सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग उच्च ब्याज दर वाली योजनाओं में समेकित रूप से विनियोजन के उद्देश्य से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालयों में एकत्र करने की व्यवस्था पूर्ववर्ती उ0प्र0 जल निगम की भांति उत्तरांचल पेयजल निगम में भी अपनायी गई है।

निगम बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 07-02-2004 में पूर्व व्यवस्थायें अपनाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद नैनीताल में कालाढूंगी पेयजल योजना के ग्रामीण जोन III तथा पार्ट II के निर्माण हेतु टेंडर

12—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल में कालाढूंगी पेयजल योजना के ग्रामीण जोन III (रूपपुर ग्राम समूह) तथा कालाढूंगी ग्रामीण जोन के पार्ट II (देवीपुरा ग्राम समूह) के निर्माण के लिए टेण्डर किये जा चुके हैं ?

यदि हाँ, तो क्या टेण्डर के अनुसार कार्य पूरा कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो तथा कब तक उक्त कार्य पूरा कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्राप्त निविदाओं को अंतिम रूप देकर यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून में कृष्णनगर-बिन्दाल दोहरी सीवर लाइन का निर्माण

13—श्री हरबंस कपूर—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में कृष्णनगर से बिन्दाल तक बिछायी जा रही कृष्णनगर-बिन्दाल दोहरी सीवर लाइन का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कार्य का समय के अन्दर पूर्ण न होने के क्या कारण हैं तथा कब तक इसे पूरा कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस योजना का कार्य मार्च, 2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून में पेयजल कनेक्शनों के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति

14—श्री हरबंस कपूर—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर में गत दस वर्षों में पेयजल कनेक्शनों में कितनी वृद्धि हुई है ? तथा इसी अनुपात में फील्ड स्टाफ की संख्या में भी वृद्धि हुई है ?

क्या मंत्री जी उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा सेवाओं में सुधार के परिप्रेक्ष्य में कनेक्शनधारियों की संख्या को देखते हुए फील्ड स्टाफ की पर्याप्त नियुक्ति करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

देहरादून नगर क्षेत्रान्तर्गत गत दस वर्षों में 26453 जल संयोजनों की वृद्धि हुई है। स्वीकृत ढाँचान्तर्गत नई नियुक्तियों की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

15—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

द्वितीय सोमवार के अता0 प्र0सं0 62 में स्था0

16—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत में व्यय हुई धनराशि

17—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर आये भूस्खलन के बाद उस क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पाइप लाइन मरम्मत के लिए जल संस्थान द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई ?

क्या यह सत्य है कि जिन पाइप लाइनों को बदलने हेतु धन आवंटित किया गया था उन्हें न बदलकर नगर के बीचों-बीच नई पाइप लाइन बिछाकर लाखों रुपये व्यय किये गये ?

क्या यह सत्य है कि उक्त लाइन मात्र चार माह में ही बन्द हो चुकी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जल संस्थान द्वारा रु0 8.087 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

जी नहीं। भूस्खलन के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होकर मलबे के नीचे दब गई थी, जिसकी मरम्मत की जानी सम्भव नहीं थी। वैकल्पिक व्यवस्था के लिये भूस्खलन क्षेत्र से कुछ दूर नई पाइप डालकर उत्तरकाशी नगर एवं ज्ञानसू क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति सुचारु करायी गई तथा इसी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए धनराशि आवंटित की गई थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण वरुणावत के शीर्ष में सम्पर्क मार्ग के निर्माण में व्यय धनराशि

18—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत भूस्खलन के बाद वरुणावत के शीर्ष में सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ?

उक्त धनराशि किन कार्यों पर व्यय की गई ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु रुपया 8.79 लाख की धनराशि आवंटित हुई।

(क) व्यय का विवरण—

• वन विभाग की क्षतिग्रस्त हल्का मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु	रु0 7.69 लाख
• अश्व मार्ग का पुनर्निर्माण	रु0 0.50 लाख
कुल व्यय	रु0 8.19 लाख

(ख) वापसी का विवरण—

- जिलाधिकारी को वापस की गयी धनराशि

रु० 0.60 लाख

उपरोक्तानुसार कार्य एवं व्यय किया गया।

स्वजलधारा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पेयजल आपूर्ति के लिये
चयनित विकास खण्ड

19—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वजलधारा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के किन-किन विकास खण्डों को पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित किया गया है ?

क्या पेयजल मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु जनपद में कुल कितनी धनराशि अब तक आवंटित की गई हैं तथा किन-किन विकास खण्डों में स्वजलधारा के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य चल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वजलधारा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड लमगड़ा, ताकला ताडीखेत एवं द्वाराहाट को पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित किया गया है।

शासन से जनपद हेतु रु० 16.50 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अन्तर्गत चयनित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	विकास खण्ड	चयनित ग्रा०/यो०	टिप्पणी
1.	लमगड़ा	भावू	सर्वेक्षण कार्यपूर्ण
2.	ताकुला	भैंसड़गाँव	तदैव
3.	ताडीखेत	1. खमिया 2. पाण्डेकोटा 3. गैरड़	तदैव सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर तदैव
4.	द्वाराहाट	कनल गाँव	तदैव

उपरोक्तानुसार।

20—श्री हरबंस कपूर—

तृतीय मंगलवार तक स्थगित।

अल्मोड़ा नगर में सीवर लाइन का निर्माण

21—श्री कैलाश शर्मा—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर में बनाई जा रही सीवर लाइन का निर्माण कार्य रोक दिया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रोके गये कार्य को पुनः चालू कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा नगर एवं समीपवर्ती गाँवों को सेराघाट सरयू नदी से पेयजल योजना के निर्माण पर विचार

22—श्री कैलाश शर्मा—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अल्मोड़ा नगर एवं समीपवर्ती ग्रामों की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या सरकार सेराघाट सरयू नदी से पेयजल योजना का निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरयू नदी से अल्मोड़ा शहर एवं समीपवर्ती ग्रामों के लिये पेयजल उपलब्ध कराना मितव्ययी नहीं है।

23—श्री प्रकाश पन्त—

द्वितीय सोमवार के अता0 प्र0 सं0-63 में स्थानान्तरित।

धारचूला पिथौरागढ़ में सर्परोडा ढुंगा तोली पेयजल योजना के निर्माण में अनियमिततायें

24—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत सर्परोडा ढुंगा तोली पेयजल योजना के निर्माण कार्य में अनियमिततायें की गई हैं ?

यदि हाँ, तो इन अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जाँच कराये जाने के बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

तहसील धारचूला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धौली गंगा परियोजना क्षेत्र में वानिकी कार्य पर व्यय

25—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत धौली गंगा परियोजना क्षेत्र में वानिकी कार्यों हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

तथा कितने क्षेत्र को लाभान्वित किया गया है?

और कितना कार्य शेष है ?

श्री नव प्रभात—

रुपया 170.00 लाख की धनराशि व्यय की गई।

परियोजना के 7 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र क्रमशः दुग, कंचोटी, नैनगल, दर, नागलिंग मल्छी तथा सुवा क्षेत्रों को लाभान्वित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 1164 है० क्षेत्र में वनीकरण, 1632 है० क्षेत्र में रामबांस/रिंगाल का रोपण तथा 9.00 है० क्षेत्र में जड़ी-बूटी पौधशाला का निर्माण कार्य हुआ।

वर्ष 2005 से 2007 तक निम्न कार्य होने हैं:—

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. वनीकरण | 407 है० |
| 2. रामबांस/रिंगाल का रोपण | 143 है० |

**भीमताल (नैनीताल) के ग्राम सलड़ी में निर्माणाधीन चन्दा देवा हरिनगर
अम्बेडकर हल्का वाहन मार्ग का निर्माण**

26—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद नैनीताल की तहसील भीमताल के ग्राम सलड़ी में निर्माणाधीन चन्दा देवा हरिनगर अम्बेडकर हल्का वाहन मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग यातायात हेतु कब तक खोल दिया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

अतिवृष्टि से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसे यातायात हेतु खोलने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रामीण क्षेत्रों में जिला सूचना केन्द्र द्वारा पुनः फिल्म शो कार्यक्रम प्रारम्भ
करने पर विचार**

27—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या सूचना मंत्री अवगत हैं कि शासन की नीतियों का प्रचार-प्रसार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ मनोरंजन के लिए संचालित फिल्म शो कार्यक्रम जिला सूचना केन्द्रों द्वारा बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में पूर्व की भांति जिला सूचना केन्द्रों द्वारा फिल्म शो कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत फिल्म शो कार्यक्रम का संचालन राज्य गठन के उपरान्त समाप्त कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रभाव को देखते हुए इसे संचालित करने की योजना नहीं है।

**हरिद्वार में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में उपलब्ध पेयजल
सुविधा वाले गाँवों का विवरण**

28—श्री मदन कौशिक—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वजल परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में हरिद्वार के कितने और किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है ?

क्या परियोजना ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट (स्वजल परियोजना) हरिद्वार के अन्तर्गत प्रथम बैच में 19 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो गया है। ग्राम पंचायतों के नाम निम्नवत हैं:—

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. श्यामपुर | 2. लाठरदेवा हुण |
| 3. थिथौलाखेमपुर | 4. नसीरपुर |
| 5. मकदूमपुर | 6. बेडपुर |
| 7. हथियाथल | 8. सफरपुर सरकडी |
| 9. अकबरपुर फाजिलपुर | 10. रसूलपुर |
| 11. पुहाना | 12. मोहम्मदपुर बुजर्ग |
| 13. सिकन्दरपुर मुयाल | 14. सिकन्दरपुर भैसवाल |
| 15. चौली शहाबुदीनपुर | 16. माजरी गुम्मावाला |
| 17. बहादरपुर सैनी | 18. सुभाषनगर (सीतापुर) |
| 19. गाजीवली | |

जी नहीं।

भारत सरकार को प्रेषित पी०आई०पी० के अनुसार सैक्टर रिफार्म परियोजना, हरिद्वार में प्रथम बैच के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन दिनांक 31 अक्टूबर, 2004 तक पूर्ण किया जाना था। भारत सरकार ने अपने पत्र सं० डब्ल्यू-11037/7/2003-एस०डब्ल्यू-टी०एम०-IV दिनांक 05 सितम्बर, 2003 के द्वारा सैक्टर रिफार्म परियोजना को दिनांक 31 मार्च, 2004 तक बन्द करने के निर्देश दिये थे। इसके उपरान्त भारत सरकार द्वारा पत्र सं० डब्ल्यू-11037/7/2003-एस०डब्ल्यू-टी०एम०-IV दिनांक 05 अप्रैल, 2004 द्वारा परियोजना समाप्ति की अवधि 30 जून, 2004 तक बढ़ायी गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि अवशेष कार्यों को स्वजलधारा-II में पूर्ण किया जायेगा। बैच-I के ग्रामों में क्रियान्वयन चरण अनुबन्ध दिनांक 30 सितम्बर, 2004 तक प्रभावी है, परियोजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये हैं। अतः प्रथम बैच में योजनाओं का क्रियान्वयन समयानुसार पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रदेश में वर्ष, 2003-04 में पेयजल के निदान हेतु हैण्ड पम्पों की स्वीकृति

29—श्री मदन कौशिक—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2003-04 में पेयजल समस्या से निपटने के लिए कितने हैण्ड पम्पों की स्वीकृति दे दी गई है ?

क्या सभी जनपदों में हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में वर्ष 2003-04 में 1242 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड विण, पिथौरागढ़ के गाँवों की "ग्राम समूह पेयजल योजना" के पुनर्गठन की मांग

30—श्री प्रकाश पन्त—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकासखण्ड विण, पिथौरागढ़ के ग्राम भटचूड़ा, धरकोट, बालाकोट, मासों, जाख पुरान, लोधियागैर, ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन की माँग जनता द्वारा काफी लम्बे समय से करती आ रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त माँग पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में गनाई—तड़ागताल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त भूमि का मुआवजा

31—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1978-79 में गनाई—तड़ागताल (जनपद अल्मोड़ा) मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम कोटयूड़ा तक विभाग द्वारा करवाया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम टेड़ागांव व ग्राम कोटयूड़ा के ग्रामीणों की अध्याप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के ग्रामीणों को मुआवजे का भुगतान यथाशीघ्र करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

आंशिक भुगतान किया गया।

जी हाँ।

आगामी वित्तीय वर्ष तक।

राज्य अतिथि गृह नैनीताल के विश्राम कक्षों की खराब संचार सुविधा

32—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री अवगत हैं कि राज्य अतिथि गृह, नैनीताल के विश्राम कक्षों के फोन काम कर रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार राज्य अतिथि गृह के विश्राम कक्षों की संचार सुविधा ठीक करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

कतिपय कक्षों के फोन काम नहीं कर रहे हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य अतिथि गृह, नैनीताल एवं उत्तरांचल निवास, दिल्ली में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

33—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि राज्य अतिथि गृह, नैनीताल एवं उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली में कुल कितने कर्मचारी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में दैनिक वेतन पर सेवारत हैं ?

क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

तीस।

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट मृग विहार क्षेत्र का पुनः सीमांकन

34—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट मृग विहार क्षेत्र का पुनः सीमांकन किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

यथाशीघ्र। पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत 600 वर्ग किमी० क्षेत्र में अस्कोट कस्तूरा मृग विहार की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 996/14-3-30/84, दिनांक 30-07-1986 जारी की गई।

उक्त अधिसूचना में 225.5 वर्ग कि०मी० सिविल एवं पंचायती वन एवं 85 वर्ग कि०मी० कृषि भूमि सम्मिलित है। वर्ष 1991 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप जनता के हक-हकूक समाप्त हो गए, जिस कारण जनता द्वारा उक्त पशु विहार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की माँग की गई। उत्तरांचल शासन द्वारा उक्त मामला सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को संदर्भित किया गया। भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव सलाहकार परिषद् के सुझाव के अनुपालन में अस्कोट कस्तूरा मृग विहार को स्थापित करने के अभिप्राय की अधिसूचना नोटिफिकेशन ऑफ इन्टेन्ट विज्ञप्ति संख्या 1127/दस-2-2004-19(1)/2002, दिनांक 16-6-2004 से नए सिरे से जारी की गई, ताकि हक-हकूकों के निर्धारण विधि अनुसार हो सके। जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा उक्त अधिसूचना पद वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही प्रगति पर है। कार्यवाही पूर्ण होने पर मामला पुनः भारत सरकार को सन्दर्भित किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय का जीर्णोद्धार

35—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या इस ऐतिहासिक भवन के मौलिक स्वरूप को यथावत रखते हुए ही जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

36—श्री सुरेश चन्द—

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली में सीवर लाइन बिछाने की योजना

37—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, भवाली में सीवर लाइन न होने के कारण वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भवाली में सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानकों के अनुसार सीवरेज योजना निर्मित करने के लिए नगर में 135 एल०पी०सी०डी० पानी उपलब्ध होना चाहिए, जबकि भवाली में पेयजल आपूर्ति दर 90 एल०पी०सी०डी० है।

रुड़की (हरिद्वार) में पेयजल की समस्या का समाधान

38—श्री सुरेश चन्द—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में विधान सभा क्षेत्र रुड़की में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु कोई योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

ग्रामीण क्षेत्र सैक्टर रिफार्म कार्यक्रम में पहले से ही शामिल है तथा रुड़की नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके अनुसार विरचित प्राक्कलन अनु० लागत रु० 958.42 लाख का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

39—श्री महेन्द्र भट्ट—

तृतीय मंगलवार के अता०प्र० सं० 5 में स्थानान्तरित।

जनपद चमोली अन्तर्गत पोखरी में कनकचौरी पोगठा रौता मोटर मार्ग
हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण

40—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या लो०नि० मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में कनकचौरी पोगठा रौता मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त सड़क कब तक तैयार हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत केदारनाथ में स्थापित हैण्ड पम्पों की संख्या

41—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में कुल कितने हैण्ड पम्प लगाये गये तथा कितने हैण्ड पम्पों से जनता को पेयजल सुविधा मुहैया करायी जा रही है ?

क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में और अधिक हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 2003-04 में 04 हैण्ड पम्प तथा 2004-05 में 06 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये तथा उक्त सभी हैण्ड पम्पों से पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली अन्तर्गत कर्णप्रयाग में वन अधिनियम के कारण
लम्बित व निर्माणाधीन सड़कें

42—श्री अनिल नौटियाल—

क्या लो०नि०वि० मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें वन अधिनियम के कारण लम्बित हैं ?

जिन सड़कों की स्वीकृति वन विभाग द्वारा प्रदान कर दी गई, क्या सरकार द्वारा उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

इक्कीस।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली अन्तर्गत गैरसैण में रणचौरा पेयजल योजना का सर्वे एवं
आगणन

43—श्री अनिल नौटियाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली गैरसैण विकास खण्ड के अन्तर्गत रणचौरा पेयजल योजना का सर्वे एवं आगणन तैयार किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

रणचौरा पेयजल योजना का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है एवं आगणन विचाराधीन है।

योजना के आगणन की तकनीकी जाँच के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल स्थित नगर पंचायत कालाढूँगी में सीवर लाइन बिछाने
का विचार

44—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित नगर पंचायत कालाढूँगी में सीवर लाइन बिछाये जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानकों के अनुसार सीवरेज योजना निर्मित करने के लिए नगर में 135 एल०पी०सी०डी० पानी उपलब्ध होना चाहिए, जबकि कालाढूंगी में पेयजल आपूर्ति दर 70 एल०पी०सी०डी० है।

जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बस स्टेशन की सुविधा

45—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री धाम में बस स्टेशन की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए गंगोत्री धाम के बस स्टेशन से आधा कि०मी० पीछे तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

यह मार्ग सीमा सड़क संगठन के अधीन है। सीमा सड़क संगठन से सूचना एकत्र की जा रही है।

यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग का जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक चौड़ीकरण

46—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग का जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक चौड़ीकरण किये जाने से सम्बन्धित कार्य शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली अन्तर्गत गैरसैंण में बी०एम०बी० मोटर मार्ग को तनवाड़ी तक मिलाने की स्वीकृति

47—श्री अनिल नौटियाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत बी०एम०बी० मोटर मार्ग को तनवाड़ी (थराली वि०खं०) तक मिलाने की स्वीकृति दी गयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त कार्य को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

वन भूमि की स्वीकृति तलवाड़ी तक प्राप्त न होने के कारण तलवाड़ी तक मार्ग निर्माण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों का वेतन एवं अन्य सुविधायें बढ़ाने पर विचार

48—श्री हरभजन सिंह चीमा एवं श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार विधायकों का वेतन एवं अन्य सुविधायें बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

इसी सत्र में विधेयक लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत ऊखीमठ में देवर पेयजल योजना का जीर्णोद्धार पर व्यय

49—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड ऊखीमठ में देवर पेयजल योजना पर विभाग द्वारा कुल कितना व्यय किया गया तथा उक्त योजना किस सन् में बनकर तैयार हुई ?

क्या उक्त योजना का लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

देवर पेयजल योजना पर रख-रखाव/जीर्णोद्धार मद में रु० 2.078 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा योजना वर्ष 1977 में निर्मित की गई।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग का डामरीकरण

50—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग का डामरीकरण किस सन् में किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत तथा लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

वर्ष 1988 में।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरान्त लम्बित भविष्य निधि भुगतान प्रकरण

51—श्री अजय भट्ट—

क्या लोक निर्माण निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि लोक निर्माण के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त या मरणोपरान्त उनको या उनके वारिसों को भविष्य निधि का पैसा भुगतान किये जाने के प्रकरण लम्बित हैं ? कब तक सरकार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तरांचल में खण्ड विकास अधिकारियों के जनपदवार रिक्त पदों का विवरण

52—श्री अजय भट्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं एवं इनका जिलेवार विवरण क्या है ?

क्या सरकार द्वारा इन विकास खण्डों में उपरोक्त पदों हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

यदि नहीं, तो कब तक उक्त विकास अधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तरांचल के विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों के 68 पद रिक्त हैं। जनपदवार रिक्ति की स्थिति निम्नानुसार है :—

1. जनपद उत्तरकाशी	06 पद
2. जनपद टिहरी गढ़वाल	07 पद
3. जनपद हरिद्वार	02 पद
4. जनपद पौड़ी गढ़वाल	14 पद

5. जनपद रुद्रप्रयाग	02 पद
6. जनपद चमोली	07 पद
7. जनपद पिथौरागढ़	07 पद
8. जनपद चम्पावत	02 पद
9. जनपद ऊधमसिंह नगर	01 पद
10. जनपद अल्मोड़ा	11 पद
11. जनपद बागेश्वर	03 पद
12. जनपद नैनीताल	06 पद
योग	<u>68 पद</u>

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में निर्मित पेयजल योजनाओं का जीर्णोधार एवं जल आपूर्ति की सुलभता

53—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1975 में खनाली, जनखल, कोली, पाटा पेयजल योजना का निर्माण किया गया ?

यदि हां, तो क्या उक्त पेयजल योजना पूर्णरूप से बन्द है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को पेयजल आपूर्ति सुलभ करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में बूगाढीगा, अलगड़ा तक अपूर्ण सड़क का निर्माण

54—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद पिथौरागढ़ में बूगाढीगा, अलगड़ा तक 05 कि०मी० सड़क स्वीकृत की गयी थी ?

जिसमें से कि मात्र 03 कि०मी० सड़क का निर्माण किया गया ?

यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष 02 कि०मी० सड़क का निर्माण करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौराढ़ के अन्तर्गत स्थित जौलजीवी-झूलाघाट-टनकपुर मोटर मार्ग का निर्माण

55—श्री गगन सिंह रजवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौराढ़ के अन्तर्गत स्थित जौलजीवी-झूलाघाट-टनकपुर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रुका हुआ है ?

यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

56—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

द्वितीय सोमवार के अता० प्र० सं० 4 में स्थानान्तरित।

जनपद चमोली अन्तर्गत गैरसैंण के कुशरानी मल्ली, घटगाड़ इत्यादि पेयजल योजनाओं का जीर्णोधार।

57—श्री अनिल नौटियाल—

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत कुशरानी मल्ली, बारहगांव पेयजल योजना एवं घटगाड़ पेयजल योजना व गिवाड़ पेयजल योजना पूर्णरूप से बन्द पड़ी है ?

यदि हां, तो क्यों ?

क्या सरकार उक्त बन्द पड़ी योजनाओं को चालू किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत कुशरानी मल्ली, बारहगांव, गिवाड पेयजल योजना आंशिक रूप से चालू है तथा घटगाड़ पेयजल योजना ग्राम पंचायत के अधीन रख-रखाव में हैं।

उपरोक्तानुसार।

कुशरानी मल्ली, बारहगांव, गिवाड पेयजल योजना का उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा वर्ष 2004-05 में पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। एकल ग्राम की घटगाड़ पेयजल योजना के जीर्णोद्धार/मरम्मत हेतु ग्राम पंचायत स्तर से कार्यवाही की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली अन्तर्गत गैरसैंण में नियुक्त वन दरोगा की गुमशुदगी

58—श्री अनिल नौटियाल—

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि श्री आशा कुमार भदोला जो कि गैरसैंण में वन दरोगा के पद पर कार्यरत थे ?

विभागीय कार्य से रानीखेत गये थे ?

यदि हां, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके परिवार को क्या कोई सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवप्रभात—

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं। श्री भदोला वर्तमान में कहाँ हैं, इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। वे दिनांक 01-09-2001 से लगातार सरकारी सेवा में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं तथा वे विभाग से रानीखेत नहीं गये थे। श्री आशा कुमार भदोला, वन दरोगा के बारे में निम्न प्रकार से प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत द्वारा पत्राचार एवं कार्यवाहियां की गयी।

1. पत्रांक 1850/16 पी0, दिनांक 24-05-02 से श्री भदोला के स्थाई पते पर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत पत्र भेजना।
2. दिनांक 21-06-02 के अमर उजाला नामक समाचार-पत्र में कार्य पर उपस्थित होने के लिये दी गयी सूचना प्रकाशित हुई।

3. दिनांक 28-02-2003 को गुमशुदा होने की प्रथम रिपोर्ट रिपोर्टिंग पुलिस चौकी मेहलचौरी (थाना कर्णप्रयाग के अन्तर्गत) जिला चमोली में दर्ज करायी गयी।
4. दिनांक 30-03-2003 के दैनिक जागरण समाचार-पत्र में कार्य पर उपस्थित होने के लिए दी गयी सूचना समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चमोली ने अपने पत्रांक 10/2003 दिनांक 23-07-2003 द्वारा सूचित किया कि श्री मदोला वन दरोगा की तलाश हेतु जांच की कार्यवाही जारी है।

शासनादेश संख्या सा-3 डी0 आई0-88/10-909-87, दिनांक 20-03-1987 के अनुसार गुमशुदगी के संबंध में निर्धारित प्रमाण-पत्र पुलिस विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण सेवा नैवृतिक लाभ व अन्य अवशेषों का भुगतान नहीं किया जा सका है।

जनपद देहरादून के सौंग नदी तथा रिस्पना नदी पर बने पुलों के निर्माण पर हुए व्यय

59-श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि हरिद्वार-मसूरी मार्ग पर डोईवाला के निकट सौंग नदी पर बने मोटर पुल तथा रिस्पना नदी पर घोरण के पास बने पुलों के निर्माण पर कितना व्यय हुआ और इनसे अभी तक सरकार को कितनी आय हुई ?

वसूली की यह व्यवस्था कब तक जारी रहेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग वि०स० के वन क्षेत्र में बने मोटर मार्गों का हस्तान्तरण

60-श्री अनिल नौटियाल-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन से मोटर मार्ग वन विभाग के अधीन हैं ?

क्या सरकार उक्त मार्गों के रख-रखाव व डामरीकरण हेतु प्रयासरत है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

क्या वन मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है ?

यदि हां, तो कब तक उक्त मार्ग हस्तान्तरण हो जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात-

कर्ण प्रयाग विभाग सभा क्षेत्र के अन्तर्गत।

1. दिवालीखाल - दैड़ा 10 कि०मी० वन मोटर मार्ग है।
2. दिवालीखाल - घण्डियालघार 5.20 कि०मी० वन मोटर मार्ग है।

रख-रखाव बजट की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर किया जाता है।
डामरीकरण का प्रस्ताव नहीं है।

वन मार्गों का डामरीकरण नहीं किया जाता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव नहीं किया गया है।

जंगली जानवरों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का मुआवजा

61—श्री अनिल नौटियाल—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जंगली जानवरों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में नकदी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों को फसलों के नुकसान को मुआवजे का भुगतान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जी हां।

शासनादेशों के अनुरूप मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

यमकेश्वर जनपद पौड़ी में नरभक्षी बाघ से जनता की सुरक्षा एवं मुआवजा

62—श्रीमती विजय बड़थवाल—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल में नरभक्षी बाघ ने सन् 1999 से प्रश्न प्राप्ति की तिथि तक कुल कितने लोगों की जाने ली व कितनों को घायल किया ?

क्या सभी प्रस्तावितों को मुआवजा दिया गया है ?

नरभक्षी बाघ से जनता की सुरक्षा के लिए क्या सरकार ने कोई उपाय किये हैं ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

वर्ष 1999 से प्रश्न प्राप्ति की तिथि दिनांक 21-07-2004 तक निम्न स्थिति है—

- | | | | |
|----|--------------|---|----|
| 1. | मारे गये लोग | — | 23 |
| 2. | घायल लोग | — | 16 |

21 मृतक आश्रितों एवं 14 घायलों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष 2 मृतक आश्रितों तथा 2 घायलों के भुगतान की कार्यवाही विचाराधीन है।

जी हां।

नरभक्षी बाघ को जिन्दा पकड़ने के लिये संवेदनशील स्थानों पर पिंजरे लगाये जाते हैं। अन्यथा नरभक्षी बाघ को नष्ट करने की अधिसूचना जारी करके विभागीय स्टाफ एवं अधिकृत शिकारी दलों के सहयोग से उसे मारने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत द्वारीखाल के ग्राम कठूड़ बड़ा की पेयजल योजना
63-श्रीमती विजय बड़थवाल-

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कठूड़ बड़ा हेतु सरकार द्वारा पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत की गई है ?

यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विकास खण्ड थत्पूड़ टिहरी के थान गांव में पेयजल आपूर्ति

64-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्पूड़ के थान गांव में पेयजल का गम्भीर संकट है ?

क्या यह सत्य है कि गांव के लोग लगभग 03 कि०मी० दूर बिलौन्दी पुल से आगे स्रोत से पानी ला रहे हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी हां।

गांव के लोग वर्तमान में पूर्व निर्मित किन्तु जीर्ण-शीर्ण योजना से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर स्थानीय स्रोतों से भी पानी प्राप्त करते हैं।

थान पुनर्गठन पेयजल योजना का निर्माण कार्य, जो कि स्थानीय निवासियों के स्रोत विवाद के कारण बन्द कर दिया गया था, को जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

65—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

द्वितीय शुक्रवार के अता० प्र० सं० 46 में स्थानान्तरित।

66—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

द्वितीय सोमवार के अता० प्र० सं० 49 में स्थानान्तरित।

राज्य के जंगलों में बुरांस के फूल संग्रहण हेतु दिशा निर्देश

67—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के जंगलों में बुरांस के फूल संग्रहण हेतु कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ?

यदि हां, तो बुरांस के फूलों के संग्रहण हेतु कितना शुल्क निर्धारित किया गया है।

श्री नव प्रभात—

जी नहीं। प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून स्थित ट्रांजिट होस्टल में विधायकों को प्राप्त सुविधायें

68—श्री मदन कौशिक—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ट्रांजिट होस्टल, देहरादून में विधायकों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

ट्रांजिट होस्टल, देहरादून में विधायकों को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है :—

क्र०सं०	वस्तु का नाम	वस्तुओं की संख्या
1.	आफिस टेबल	01
2.	कुर्सियां	10
3.	पलंग	02
4.	अलमारी	01
5.	ड्रेसिंग टेबल	01
6.	चाय की मेज	02
7.	दरी	01

8.	टेबल लैम्प	01
9.	बाल्टी	01
10.	मग	02
11.	बाथमेट	02
12.	दरवाजे के पायदान	02
13.	पर्दे	समय-समय पर निर्धारित मानक क्रम के अनुसार
14.	गीजर	01
15.	कूलर	01

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों का सर्वेक्षण

69—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों का सर्वेक्षण किया गया है ?

यदि हां, तो कुल कितने लोग हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा क्रियान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में स्थानीय गरीब मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाता है।

चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार तथा कोटद्वार से प्रारम्भ करने पर विचार

70—श्री मदन कौशिक—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य हरिद्वार तथा कोटद्वार से प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ?

यदि हां तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का कार्य हरिद्वार से दिनांक 17-05-2004 को प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कोटद्वार से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

कोटद्वार चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है।

71—श्री हरबंस कपूर—

न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

प्रदेश में फिल्म विकास परिषद् का गठन

72—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फिल्म विकास परिषद् का गठन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या परिषद् में उत्तराखण्ड तथा फिल्म जगत में कार्य करने वाले कलाकारों को भी शामिल किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

फिल्म व्यवसाय के सुनियोजित विकास हेतु राज्य फिल्म विकास परिषद् एवं क्षेत्रीय फिल्मों के सम्बन्ध में सुनियोजित कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय फिल्म सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। अभी तक इनमें देश के फिल्म जगत से जुड़े पांच विशेषज्ञों एवं प्रदेश के दो प्रतिनिधियों को नामित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून शहर के द्वीपनगर व ग्राम नत्थनपुर में पेयजल हेतु ट्यूबवैल का निर्माण

73—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के वार्ड-13 द्वीपनगर तथा रायपुर विकास खण्ड के ग्राम नत्थनपुर में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्यूबवैल लगाये जाने प्रस्तावित है ?

यदि हां, तो कब तक ट्यूबवैल स्थापित कर दिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

प्राक्कलन विचाराधीन है। प्राक्कलन की तकनीकी जांच के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत जालली विकास खण्ड का निर्माण

74—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 5 सितम्बर, 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अल्मोड़ा जिला मुख्यालय की सार्वजनिक सभा में अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत जालली विकास खण्ड के निर्माण की घोषणा की गयी थी ?

यदि हां, तो क्या जालली विकास खण्ड का गठन हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं, सार्थक विचार किये जाने हेतु कहा गया था।

जी नहीं।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को विकास खण्डों के गठन के सम्बन्ध में कोई नीति न होने अतएव कोई सहायता उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में विकास खण्डों का गठन किया जाना सम्भव नहीं है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)
सचिवालय तथा प्रदेश के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल को पुनः नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये और अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, यह राज्य कर्मचारियों से जुड़ा हुआ गम्भीर विषय है, कृपया इसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे अपना आसन ग्रहण करें। इस विषय पर पूर्व में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन को चलाने में हमें अपना सहयोग प्रदान करें। सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर नारे लगाने लगे—“कर्मचारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी”)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री मातबर सिंह कण्डारी, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी, माननीय सदस्य को छोड़कर सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े हो गये और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत।

(वेल में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी करने पर घोर व्यवधान)

(वेल में खड़े भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री महेन्द्र भट्ट द्वारा यह कहे जाने पर कि "आखिर सरकार इस पर वक्तव्य देने से क्यों बच रही है")

श्री अध्यक्ष—

माननीय भट्ट जी, कृपया आप बैठ जायें, इस पर चर्चा हो चुकी है।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल के प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल के प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन के पटल पर रखती हूँ।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे और सरकार से वक्तव्य की मांग करने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही को 03.00 बजे, अपरान्ह तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही अपरान्ह 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

सचिवालय तथा प्रदेश के समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल को पुनः नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास

[भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य (नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी को छोड़कर) तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के समस्त माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने का प्रयास करने लगे]

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत—

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय है, सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है।.....(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(घोर व्यवधान)

भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्य, (नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी को छोड़कर) तथा उत्तराखण्ड क्रांति दल के श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी वेल पर आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे— जोर जबरदस्ती की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2004 की बैठक में 27 जुलाई, 2004 से 30 जुलाई, 2004 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:—

जुलाई, 2004

27 मंगलवार

1. 12—चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
2. 08—आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग चर्चा एवं मतदान।
3. 26—पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
4. 17—कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
5. 06—राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
6. 25—खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

28 बुधवार

1. 27—वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
2. 15—कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
3. 18—सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
4. 28—पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

5. 23—उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
6. 29—औद्योगिकी एवं रेशम विकास की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
7. 13—जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
8. 19—ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
9. 20—सिंचाई तथा बाढ़ विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
10. 01—विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
11. 02—राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
12. 03—मंत्रि परिषद् की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
13. 14—सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
14. 22—लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

29 गुरुवार

1. 11—शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
2. 16—श्रम एवं रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
3. 24—परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
4. 04—न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
5. 05—निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
6. 07—वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
7. 09—लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
8. 10—पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
9. 21—ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
10. उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं पारण।

असरकारी कार्य

30 शुक्रवार

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:—

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।”

2. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:—

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।”

3. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:—

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को, चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाय।”

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:—

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाय।”

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:—

“संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाय।”

6. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम 103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव व प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:—

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जगदीशीला व विश्वनाथ की धार्मिक यात्रा हेतु यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधा जुटाकर पर्यटक स्थल घोषित किया जाय।”

7. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम 103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:—

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौवंश संरक्षण हेतु विधि बनाई जाय।”

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा:— (एक घण्टा)

“उत्तरांचल राज्य में पर्यटन एवं तीर्थाटन को बढ़ावा देने हेतु एक स्टडी कमेटी बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पर्यटन एवं तीर्थाटन नीति बनाई जाए।”

9. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा:— (एक घण्टा)

“प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण किए जाने हेतु ऐसी नीति बनायी जाए कि इन संगठनों की कार्य प्रणाली पारदर्शी हो, इनको प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके तथा इनके द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं का अधिकाधिक लाभ जनता को प्राप्त हो सके।”

10. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित असरकारी विधेयक का पुरःस्थापन:—

“उत्तरांचल प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचड़ा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2004 पर विचार।”

11. द्वितीय सत्र, 2002 के लम्बित संकल्पों पर विचार:—

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

1. श्री प्रकाश पंत
दिनांक 14 जून, 2002
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।”

2. श्री मातबर सिंह कण्डारी
दिनांक 14 जून, 2002
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाय।”

3. श्री मदन कौशिक
दिनांक 14 जून, 2002
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र “हरि की पैड़ी”, गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाय।”

4. श्री अजय भट्ट
दिनांक 14 जून, 2002
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद्, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगर पालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।”

5. श्रीमती विजय बड़थवाल
दिनांक 14 जून, 2002
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों बिचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाय।”

12. प्रथम सत्र, 2003 के लम्बित असरकारी संकल्पों पर विचार:-

- | प्रस्तावक का नाम | संकल्प |
|--|--|
| 1. श्रीमती विजय बड़थवाल
दिनांक 4 अप्रैल, 2003
को प्रस्तुत | “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जाय।” |
| 2. काजी निजामुद्दीन
दिनांक 4 अप्रैल, 2003
को प्रस्तुत | “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।” |
| 3. श्री मातबर सिंह कण्डारी
दिनांक 4 अप्रैल, 2003
को प्रस्तुत | “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के रेल मार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।” |

13. निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं विचार:-

- | प्रस्तावक का नाम | संकल्प |
|-------------------------|--|
| 1. श्री विशन सिंह चुफाल | “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि का समय पर भुगतान करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।” |

2. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल विधान सभा के माननीय सदस्यों को, विधायी एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के सम्पादन हेतु एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की नियुक्ति हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान किया जाय।”

3. श्री मदन कौशिक

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के भूगर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाय।”

विधायी कार्य

1. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 का विचार एवं पारण। (आधा घन्टा)
2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)
3. उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 का विचार एवं पारण। (आधा घन्टा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियमों को निलम्बित करते हुये कार्यसूची में अतिरिक्त मदों को जोड़े जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि नियमों को निलम्बित

करते हुए आज की कार्यसूची की मद संख्या 18, 19, 22 (1) से (6), अनुदान संख्या 27, 15, 18, 28, 23, 29, 13, 19, 20, 1, 3, 14, 22, 11, 16, 24, 4, 5, 7, 10, 21 तथा उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण तथा (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 (2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 एवं (3) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक 2004 और (4) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं पारण की मर्दे आज ही ले ली जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियमों को निलम्बित करते हुए आज की कार्यसूची की मद संख्या 18, 19, 22 (1) से (6) अनुदान संख्या 27, 15, 18, 28, 23, 29, 13, 19, 20, 1, 3, 14, 22, 11, 16, 24, 4, 5, 7, 10, 21 तथा उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 के पुरःस्थापन विचार एवं पारण तथा (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक 2004 (2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक 2004 एवं (3) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक 2004 और (4) उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं पारण की मर्दे आज ही ले जी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्यय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-8 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-26 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-17 कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या-6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-25 खाद्य विभाग, अनुदान संख्या-01 विधान सभा, अनुदान संख्या-03 मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या-05 निर्वाचन, अनुदान संख्या-07 वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्यें, अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या-14 सूचना, अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या-18 सहकारिता, अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या-21 ऊर्जा, अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या-23 उद्योग, अनुदान संख्या-24 परिवहन, अनुदान संख्या-27 वन, अनुदान संख्या-28 पशुपालन, अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास।

*** स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु० 2301133 हजार (230 करोड़ 11 लाख 33 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या-12 पर यदि कोई माननीय सदस्य कटौती कर प्रस्ताव रखना चाहता है, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2301133 हजार (230 करोड़ 11 लाख 33 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*** आबकारी एवं पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 28246 हजार (2 करोड़ 82 लाख 46 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या-8 पर यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 28246 हजार (2 करोड़ 82 लाख 46 हजार मात्र) से अनधिक स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री तेजपाल सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 166437 हजार (16 करोड़ 64 लाख 37 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान की मध्य)

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या-26 पर यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 166437 हजार (16 करोड़ 64 लाख 37 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1055188 हजार (105 करोड़ 51 लाख 88 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

अनुदान संख्या-17 पर यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1055188 हजार (105 करोड़ 51 लाख 88 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2059069 हजार (205 करोड़ 90 लाख 69 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2059069 हजार (205 करोड़ 90 लाख 69 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 99708 हजार (9 करोड़ 97 लाख 08 हजार मात्र) की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 99708 हजार (9 करोड़ 97 लाख 08 हजार मात्र) की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 42389 हजार (4 करोड़ 23 लाख 89 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 42389 हजार (4 करोड़ 23 लाख 89 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 74099 हजार (7 करोड़ 40 लाख 99 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 74099 हजार (7 करोड़ 40 लाख 99 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 169945 हजार (16 करोड़ 99 लाख 45 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 169945 हजार (16 करोड़ 99 लाख 45 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 35356 हजार (3 करोड़ 53 लाख 56 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 35356 हजार (3 करोड़ 53 लाख 56 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 7713745 हजार (771 करोड़ 37 लाख 45 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 7713745 हजार (771 करोड़ 37 लाख 45 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2417290 हजार (241 करोड़ 72 लाख 90 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2417290 हजार (241 करोड़ 72 लाख 90 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 8638751 हजार (863 करोड़ 87 लाख 51 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 8638751 हजार (863 करोड़ 87 लाख 51 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1879654 हजार (187 करोड़ 96 लाख 54 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1879654 हजार (187 करोड़ 96 लाख 54 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 104086 हजार (10 करोड़ 40 लाख 86 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 104086 हजार (10 करोड़ 40 लाख 86 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2218291 हजार (221 करोड़ 82 लाख 91 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2218291 हजार (221 करोड़ 82 लाख 91 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के श्री मातबर सिंह कण्डारी, नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी सदस्य एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, माननीय सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे—लोकतंत्र की हत्यारी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की हत्यारी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)—

मान्यवर, यह लोकतंत्र की हत्या है कि एक ही दिन में सारा बजट पास करा दिया जा रहा है। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे—लोकतंत्र की हत्यारी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की हत्यारी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु० 235142 हजार (23 करोड़ 51 लाख 42 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु० 235142 हजार (23 करोड़ 51 लाख 42 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु० 166894 हजार (16 करोड़ 68 लाख 94 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु० 166894 हजार (16 करोड़ 68 लाख 94 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1849915 हजार (184 करोड़ 99 लाख 15 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1849915 हजार (184 करोड़ 99 लाख 15 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2021306 हजार (202 करोड़ 13 लाख 06 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2021306 हजार (202 करोड़ 13 लाख 06 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण वेल में खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी ने वेल में खड़े होकर कहा कि अब तो सदन में शान्ति है। अब जो मर्दे शेष रह गयी है, उन पर तो चर्चा करा दें। हमारा दल चर्चा करने के लिए तैयार है)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, निलम्बन का प्रस्ताव पास हो चुका है। अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती है और वेल में खड़े होकर मांग नहीं की जा सकती है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री हरिदास—

मान्यवर, जब चर्चा ही नहीं होनी है तो हम सदन का त्याग करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री हरिदास अपने दल के सदस्यों के साथ सदन को त्याग कर चले गये)
ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2356889 हजार (235 करोड़ 68 लाख 89 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2356889 हजार (235 करोड़ 68 लाख 89 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 3177927 हजार (317 करोड़ 79 लाख 27 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 3177927 हजार (317 करोड़ 79 लाख 27 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1291446 हजार (129 करोड़ 14 लाख 46 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1291446 हजार (129 करोड़ 14 लाख 46 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 389348 हजार (38 करोड़ 93 लाख 48 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 389348 हजार (38 करोड़ 93 लाख 48 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1496014 हजार (149 करोड़ 60 लाख 14 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1496014 हजार (149 करोड़ 60 लाख 14 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 3704 हजार (37 करोड़ 04 लाख मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 3704 हजार (37 करोड़ 04 लाख मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 353835 हजार (35 करोड़ 38 लाख 35 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 353835 हजार (35 करोड़ 38 लाख 35 हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004

(विधेयक संख्या वर्ष 2004)

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

31 मार्च, 2005 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- संक्षिप्त नाम
उत्तरांचल की
समेकित निधि में
से वर्ष 2004-2005
के लिये रु०
78653958000
का दिया जाना
1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2004 कहलायेगा।
 2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04 सन् 2004) की अनुसूची के स्तम्भ-7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) 78653958000 रुपये (सात हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ उन्तालीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।
 3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।
- विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01.	विधान सभा	राजस्व	60906	6658	67564
		पूँजी	0	0	0
02.	राज्यपाल	राजस्व	0	18515	18515
		पूँजी	0	0	0
03.	मंत्रि परिषद्	राजस्व	107651	0	107651
		पूँजी	0	0	0

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	329891	91051	420942
		पूँजी	154000	0	154000
05.	निर्वाचन	राजस्व	145505	0	145505
		पूँजी	0	0	0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	1616293	7963	1624256
		पूँजी	1392600	0	1392600
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	11234419	8743644	19978063
		पूँजी	630502	5711012	6341514
08.	आबकारी	राजस्व	39105	0	39105
		पूँजी	10000	0	10000
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	35243	35243
		पूँजी	0	15000	15000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	3030885	0	3030885
		पूँजी	444930	0	444930
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	12262151	0	12262151
		पूँजी	511903	0	511903
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2527377	0	2527377
		पूँजी	658537	0	658537
13.	जलापूर्ति एवं आवास एवं नगर विकास	राजस्व	2881393	0	2881393
		पूँजी	80001	0	80001
14.	सूचना	राजस्व	141825	0	141825
		पूँजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	2211885	0	2211885
		पूँजी	680059	0	680059
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	321573	0	321573
		पूँजी	10002	0	10002
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	1619410	0	1619410
		पूँजी	63601	0	63601
18.	सहकारिता	राजस्व	111751	0	111751
		पूँजी	110036	0	110036
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	2256111	0	2256111
		पूँजी	378032	0	378032
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1696009	0	1696009
		पूँजी	1049108	0	1049108
21.	ऊर्जा	राजस्व	1180069	0	1180070
		पूँजी	3559001	0	3559001

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	1919690	16530	1936220
		पूँजी	2550453	0	2550453
23.	उद्योग	राजस्व	572498	0	572498
		पूँजी	1280409	0	1280409
24.	परिवहन	राजस्व	114235	0	114235
		पूँजी	370001	0	370001
25.	खाद्य	राजस्व	138706	0	138706
		पूँजी	5901	0	5901
26.	पर्यटन	राजस्व	123745	0	123745
		पूँजी	262900	0	262900
27.	वन	राजस्व	2084939	1320	2086259
		पूँजी	37200	0	37200
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	476015	10	476025
		पूँजी	53001	0	53001
29.	औद्योगिक विकास	राजस्व	508393	2403	510796
		पूँजी	1	0	1
	योग	राजस्व	49712430	8923338	58635768
		पूँजी	14292178	5726012	20018190
	महायोग		64004608	14649350	78653958

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3, अनुसूची खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन

एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि

उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 5, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन
एवं उपान्तरण आदेश, 2002
(प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004

(उत्तरांचल विधेयक संख्या वर्ष 2004)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेतर संशोधन के लिए;

विधेयक

भारत, गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- (2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा;
- (3) यह तुरन्त प्रभावी होगा।
2. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2(ज) के स्थान पर निम्नवत् संशोधन कर दिया जायेगा तथा तदुपरान्त एक नई धारा 2(ठ-1) जोड़ दी जायेगी, अर्थात्; मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन एवं नई धारा का जोड़ा जाना
 - (क) धारा 2(ज)—“स्थानीय निकाय” का तात्पर्य उत्तरांचल में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत से है;
 - (ख) धारा 2(ठ-1)—“नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;

मूल अधिनियम
की धारा 13 का
संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) तथा खण्ड (आठ) के स्थान पर निम्न संशोधन कर दिया जायेगा, अर्थात्; धारा 13(1)—मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) में "जिला परिषद्" "क्षेत्र समिति" एवं "ग्राम सभा" के स्थान पर क्रमशः "जिला पंचायत" "क्षेत्र पंचायत" और "ग्राम पंचायत" रख दिया जायेगा;

मूल अधिनियम
की धारा 13 (1)
(आठ) का
संशोधन

4. धारा 13(1) (आठ)—मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा—अर्थात्
(क) यदि मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत 20 से अधिक ग्राम पंचायतें न हों, तो पांच, जिनमें से—

(एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा,

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा, और

(तीन) एक ऐसी महिला जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो; होगी।

- (ख) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक किन्तु 30 से अनधिक ग्राम पंचायतें हों, तो सात, जिनमें से—

(एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा,

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा,

(तीन) एक ऐसी महिला जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो; होगी, और

(चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी।

- (ग) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 30 से अधिक किन्तु 40 से अनधिक ग्राम पंचायतें हों, तो नौ, जिनमें से—

(एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा,

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा,

(तीन) दो ऐसी महिलायें जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो, होंगी; और

(चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी।

(घ) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 40 से अधिक ग्राम पंचायतें हों, तो ग्यारह, जिनमें से—

(एक) दो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होंगे,

(दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा,

(तीन) दो ऐसी महिलायें होंगी जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हों;

(चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी, और

(पांच) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की महिला होगी।

(ङ) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (एक) के खण्ड (आठ) के प्रस्तर (ब), (म) एवं (य) में प्रयुक्त शब्द "जिला परिषद्", "क्षेत्र समिति" एवं "ग्राम सभा" के स्थान पर क्रमशः "जिला पंचायत", "क्षेत्र पंचायत" और "ग्राम पंचायत" रख दिया जायेगा, तथा प्रस्तर (य) में प्रयुक्त शब्द "और विधान परिषद्" विलोपित समझा जायेगा,

इसी प्रकार स्पष्टीकरण खण्ड में अंकित शब्द "जिला परिषद्" के स्थान पर "जिला पंचायत" रख दिया जायेगा,

इसके बाद निम्न खण्ड जोड़ दिया जायेगा,

"अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।"

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में धारा 14 (क) एवं धारा 14 (ख) निम्न प्रकार जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:

धारा 14—क भ्रष्ट आचरण:—

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय 1 की धारा 123 के उपबन्ध यथाआवश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे।

धारा 14—ख निर्वाचन अपराध—

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय 3 की धारा 125, 126, 127, 127—क, 128, 129, 130, 131, 132, 132—क, 134, 134—क, 135, 135—क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों,

मूल अधिनियम की धारा 14 के बाद नई धाराओं का जोड़ा जाना

- (क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हों,
- (ख) धारा 127-क में उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में शब्द "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक" रख दिये गये हों,
- (ग) धारा 134 और 136 में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा या उसके अधीन रख दिये गये हों,
- (घ) धारा 135-क में,—
- (एक) शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "सरकार, परिषद् या किसी मण्डी समिति" रख दिये गये हों,
- (दो) स्पष्टीकरण में शब्द "इस उपधारा और धारा 20-ख" के स्थान पर शब्द "इस धारा" रख दिये गये हों,

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 7, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004

(उत्तरांचल विधेयक संख्या वर्ष, 2004)

विधेयक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन हेतु भारतीय गणतंत्र के 55वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
- (2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-कक में, शब्द और अंक "धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा विनिर्दिष्ट आठ प्रतिशत की दर पर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट दस प्रतिशत की दर पर" रख दिये जायेंगे। धारा 3-कक का संशोधन
3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1-ख) में शब्द "दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज" के स्थान पर "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज" रख दिये जायेंगे। धारा 7 का संशोधन
4. (1) मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में शब्द "प्रतिमास दो प्रतिशत की दर से ब्याज" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज" रख दिये जायेंगे। धारा 8 का संशोधन
- (2) मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1-ख) में शब्द "डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 8-घ की उपधारा (7) में शब्द "अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे। धारा 8-घ का संशोधन
6. (1) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्य हैं" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा। धारा 10 का संशोधन
- (क) उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति जो अपर जिला न्यायाधीश से निम्न पद पर न हों या न रहे हों।
- (2) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (2) को निकाल दिया जायेगा।
- (3) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (10) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) एवं उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे।
- (1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो;
- (2) किसी अन्य मामले में, या किसी ऐसे मामले में, जहाँ 9 जुलाई, 1997 से पूर्व प्रस्तुत कोई अपील जो अपर कमिश्नर (अपील) के आदेश के विरुद्ध न हो, 31 जुलाई, 2004 को लम्बित रही हो और विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड रुपये दो लाख से अधिक न हो, एक सदस्यीय पीठ द्वारा किया जायेगा।
7. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में शब्द "ऐसी धनराशि पर अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे। धारा 29 का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 7, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004

(उत्तरांचल विधेयक संख्या सन्, 2004)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन के लिए प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

मूल अधिनियम की
धारा 2 का संशोधन

2. उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में अंक तथा शब्द "30 जून, 2004 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "30 जून, 2005 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (अध्यादेश संख्या 1, वर्ष 2004) एतद् द्वारा निरासित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारबान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन)
विधेयक, 2004

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड 2 से खण्ड 7, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन)
विधेयक, 2004**

(उत्तरांचल विधेयक संख्या वर्ष, 2004)

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 में अग्रेतर संशोधन के लिये—

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियम—

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियमित, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- (3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
2. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के बाद निम्नवत् अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के बाद उपधारा (10) एवं (11) का जोड़ा जाना
उपधारा (10) एवं (11) जोड़ दिए जायेंगे।
- (10) "महानिदेशक पर्यटन" का तात्पर्य तत्कालीन पर्यटन निदेशालय में तत्समय नियुक्त विभागाध्यक्ष से है।
- (11) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य तत्कालीन पर्यटन निदेशालय के अधीन तत्समय कार्यरत सरकारी सेवकों से है।

- मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में संशोधन
3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बाद/“पदेन महानिदेशक, पर्यटन” शब्द बढ़ा दिये जायेंगे।
- मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3)(ख) में नया खण्ड (ग) का जोड़ा जाना
4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :-
(ग) “पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पदेन महानिदेशक पर्यटन” पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत तत्समय सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निष्पादन हेतु महानिदेशक, पर्यटन, विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा।
- मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन
5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा (2) प्रतिस्थापित कर दी जायेगी—
(2) पर्यटन निदेशालय के अधीन तत्समय कार्यरत समस्त सरकारी सेवक यथावत् सरकारी सेवक बने रहेंगे तथा उनकी सेवायें लागू सेवा नियमावली के अनुरूप व्यवहृत होंगी, जिन्हें वेतन आदि का भुगतान अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों से कोषागारों द्वारा किया जायेगा तथा उनको शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले समस्त लाभ तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, सामान्य बीमा योजना, अवकाश नकदीकरण इत्यादि शासन द्वारा वहन किये जाते रहेंगे।
- मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के बाद एक नई उपधारा (4) का जोड़ा जाना
6. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के बाद निम्नवत् एक नई उपधारा (4) को जोड़ दिया जायेगा—
(4) पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत समस्त राजकीय सेवकों से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् में संविलियन हेतु विकल्प दिये जाने का अवसर दिया जायेगा तथा जो परिषद् की सेवाओं में संविलीन नहीं होना चाहते हों उनके लिए वर्तमान में उपलब्ध पदों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अलग से प्रारूप तैयार किया जायेगा। सरकारी सेवकों के लिए परिषद् के पदों पर प्रतिनियुक्ति का विकल्प भी खुला रहेगा परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के बाद एक नया वाक्य का जोड़ा जाना
7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के बाद निम्न वाक्य जोड़ दिया जायेगा—
“एवं पर्यटन निदेशालय के अधीन कार्यरत पूर्व सरकारी सेवकों को वेतन आदि के नियमित भुगतान हेतु सरकार द्वारा सरकारी कोषागारों में प्रचलित एकीकृत वेतन भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में नियमित रूप से आय-व्ययक का प्रावधान लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों में किया जाता रहेगा”।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा की समितियों के गठन हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि “यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (यथा उत्तरांचल में लागू) के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति जिनमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने के लिए सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।”

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि “यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (यथा उत्तरांचल में लागू) के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति जिनमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने के लिए सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा की आवास समिति के गठन का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि “यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (यथा उत्तरांचल में

लागू) के संगत नियमों तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों के निदेश संख्या-94 के प्राविधानों में संशोधन करते हुए माननीय अध्यक्ष के सभापतित्व में एक, सात सदस्यीय आवास समिति का गठन किये जाने हेतु तथा समिति में अपने स्थान पर समिति के किसी अन्य सदस्य को कार्यकारी सभापति नामित किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (यथा उत्तरांचल में लागू) के संगत नियमों तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों के निदेश संख्या-94 के प्राविधानों में संशोधन करते हुए माननीय अध्यक्ष के सभापतित्व में एक, सात सदस्यीय आवास समिति का गठन किये जाने हेतु तथा समिति में अपने स्थान पर समिति के किसी अन्य सदस्य को कार्यकारी सभापति नामित किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सर्वदलीय जांच समिति के कार्यकाल को बढ़ाये जाने की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1315/वि०स०/58/सं०/2002, दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 के क्रम में मुझे आपको अवगत कराना है कि विधान सभा की लॉबी में हुए अग्निकाण्ड तथा आनुषांगिक विषयों एवं राजधानी निर्माण तथा क्रय सम्बन्धी समस्त प्रकरणों की सर्वदलीय जांच समिति, का कार्यकाल आगामी द्वितीय सत्र 2004 के अन्तिम उपवेशन की तिथि तक बढ़ाया जाता है।

विधान सभा के माननीय विधायकों के लैपटॉप का विवरण

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि सभी माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर कर एक पत्र दिया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि जो लैपटॉप माननीय सदस्यों को दिये गये हैं, उन्हें उनसे वापस न मांगा जाय। मान्यवर, दलीय नेताओं की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा था कि मैंने वापस लेने के लिए यह लैपटॉप देने की घोषणा नहीं की थी। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार यह लैपटॉप माननीय विधायकों के पास ही रहने दिये जायें। जिससे इस लैपटॉप में जो वह डाटा संग्रहीत करेंगे, उससे उन्हें वंचित न होना पड़े। अतः मैं माननीय अध्यक्ष जी से प्रस्ताव करती हूँ कि माननीय सदस्यों से लैपटॉप वापस न लिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।
(प्रश्न उस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

अब हम राष्ट्र-गान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत भाग्य विधाता॥

पंजाब सिंध गुजरात मराठा।

द्राविड़ उत्कल बंग॥

विंध्य हिमाचल यमुना-गंगा,

उच्छल जलधि तरंग॥

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष माँगे॥

गाहे तव जय गाथा॥

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे॥

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 48 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ)

देहरादून :

दिनांक : 27 जुलाई, 2004

श्री महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 वि0 स0/587-18-03-2005-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

